राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या – 129/2013 (पुराने नम्बर– 12/1996)
निर्णय दिनांक – 25/01/2021

वादी :–
मोहनलाल पुत्र ताराचन्दजी के कायम मुकाम
1. शिवरतन पुत्र मोहनलाल जाति–श्रीमाली ब्राहमण निवासी–देसूरी जिला–पाली तहसील–देसूरी

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, पाली
2. तहसीलदार, देसूरी प्रतिनिधी–भूमिधारी राजस्थान सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–
1. श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री नायब तहसीलदार देसूरी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक:– 25.01.2021**

वाद के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी मे स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, राजस्व लगान रूपये 3.94 पैसा वार्षिक पर वादी का कब्जा काश्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान अमल मे आने के पूर्व से विद्यमान चला आ रहा है। जिसके सबूत में ढालबाछ व ए–3 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई। जिससे धारा–15 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वादी खातेदारी प्राप्त करने की हकदार है। [illegible] पश्चात् खसरा नम्बर 376 की भूमि पर सम्वत् 2018 में 2 बीघा 6 [illegible] किया गया है। सम्वत् 2021 के पश्चात् वादी की कब्जा सुदा [illegible] 6 बीघा 5 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा को रेगुलाईज दर्ज किया गया जिसका नोट सम्वत् 2027 की खसरा

पेज लगातार 02 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

परिवर्तनशील में अंकित है जो नोट सम्वत 2036 की खसरा परिवर्तनशील तक चलता रहा है। जिसके पश्चात् देसूरी में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही अमल में आई तब सारा रिकॉर्ड भू–प्रबन्ध विभाग के पास चला गया तब नये नम्बर दिये गये। उक्त रेगुलाईजेशन के नोट के बावजूद वादी को खातेदार दर्ज नही किया गया है। जबकि वादी का कब्जा सम्वत 2011 में दर्ज कब्जा अनुरूप ही लगातार कब्जा चला आ रहा है।

यह कि पुराने खसरा नम्बर 376 रकबा–6 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर बने है, जिससे हस्ब धारा 91 भू–राजस्व एक्ट के तहत कार्यवाही में उपरोक्त नये खसरा नम्बर पर वादी को अतिक्रमी दर्शाया गया है तथा वर्ष 1995 में दर्ज किये गये मुकदमा संख्या 427/95 में नये खसरा नम्बर 753, 754, 2410 जुमले रकबा 1 07 हैक्टर पर वादी को अतिक्रमी दर्शाया है जबकि वादी ने कोई नया कब्जा नही किया हैं। पुराने खसरा नम्बर 376 के भूमि के 6 बीघा 5 बिस्वा पर पुराने कब्जा है, जिसके लिये वादी को 0.75 हैक्टर का नोटिस दिया जा रहा है, जिसके नाप की सही स्थिति मौके पर पैमाईश से ज्ञात हो सकती है, वादी सम्वत् 2011 के पूर्व से यथावत काबिज है।

वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी तहत दिनांक 09.03.1995 को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादीगण को भेजे गये जो 3 माह की अवधि गुजर जाने पर भी वादी को आराजियात की खातेदारी नही दी गई बल्कि बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह है कि उक्त वर्णित आराजियात नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर मौजा सरहद ग्राम देसूरी की खातेदारी घोषित कराये जाने व राजस्व रिकोर्ड में उक्त आराजियात खातेदारी वादी के नाम दर्ज कराये जाने के आशय से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रस्तुत है तथा प्रतिवादी संख्या–2 वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही अमल में ला रहे है जिससे वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने हस्ब धारा 92ए व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के यह वाद प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक दावा उपरोक्त रूपेण डिक्री फरमाया जाकर मौजा सरहद ग्राम देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा से बने नये ख[illegible] 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी की होना [illegible] के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी में खातेदारी हक अधिकार प्राप्त [illegible] घोषित फरमाया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड में उक्त आराजी वादी की खातेदारी दर्ज कराई जावे व प्रतिवादीगण

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

उसमें दखलन्दाजी नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे व लगान निर्धारित फरमाया जावे, नक्शा ट्रेस में आवश्यक संशोधन करवाया जाकर खाते की पास बुक व नक्शा ट्रेस वादी को दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का सवत् 2015 व 2016 में खसरा नम्बर 376 पर 6 बीघा 5 बिस्वा पर कब्जा था जिसके बाद सवत् 2019, 2020, 2025, 2027, 2031 से 2035 व 2040 मे खसरा नम्बर 376 मे 2 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा रहा हैं। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम है। जिससे राजस्व रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी का कब्जा उपरोक्त भूमि पर रहा है। सवत् 2011 से लगातार आज दिन तक कब्जा नही है। वादी का कब्जा संवत् 2021 के बाद के वर्षो में उपरोक्त सवत् में रहा है। संवत् 2027 में कोई नियमन का नोट अंकित नही है।

यह है कि गांव देसूरी के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 376 मीन से नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर होना बताया गया है। वर्ष 1993 में दर्ज मुकदमा नम्बर 427/93 मे नये खसरा नम्बर 753, 754, 2410 जुमले रकबा 1.07 हैक्टर का जो नोटिस दिया गया था वह राजस्व रिकोर्ड के अनुसार सही है।

यह है कि वादी का कब्जा उपरोक्त वर्षो के अनुसार वर्षो में रहा है। लिमीटेशन संबंधी मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। क्योकि वादी का कब्जा नियमित रूप से सवत् 2011 से 2053 तक नही रहा है। अतः वादी का वाद खारीज फरमावे।

वादीगण के वाद–पत्र एवं प्रतिवादी के जबाबदावा के अभिवचनो अनुसार न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निम्न संशोधित तनकीयात विरचित की जाकर स्पष्ट की गई–

1– तनकी नम्बर– आया मौजा सरहद ग्राम देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर 376 रकबा 06 बीघा 5 बिस्वा से बने नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर पर वादी का कब्जा काश्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान आमल में आने से पूर्व का है।........जिम्मे वादी

2– तनकी नम्बर– आया वादी को उपरोक्त खसरा नम्बर भूमि में धारा 15 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का है।........जिम्मे वादी

3– तनकी नम्बर–आया विवादित आराजी पुराने खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा गांव देसूरी जिसके नए खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर है वादी का सम्वत् 2012 से लगातार काबिज है जिसके यह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।......जिम्मे वादी

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ ; देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

4– तनकी नम्बर– आया वादी लगातार काबिज काश्त होने से एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है......जिम्मे वादी

न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकियात कायम की जाकर विरचित की गई एव शहादत वादी मे रखी गई। एवं वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू–1 शिवरतन बयान लेखबद्ध कराये एवं न्यायालय मे परीक्षित कराये गये एव इस गवाह द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये एवं वादी की ओर से अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–2 हजारीमल पी.डब्ल्यू–3 दूदाराम पी.डब्ल्यू–4 हरिसिंह के बयान कलमबद्ध करवाये गये। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को बार बार अवसर देने के उपरान्त भी शहादत पेश नही करने पर दिनांक 23/06/2005 में शहादत का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पर दिनांक 23.06.2005 में बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 06.07.2005 को पारित किया गया। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम देसूरी तहसील देसूरी के गत खसरा नम्बर 376 रकबा 06 बीघा 5 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को खातेदार कास्तकार वादी को घोषित किया जाता है। वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नही करे अर्थात स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है। तथा पत्रावली फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम की गई।

इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री फुटरमल मेवाडा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 13.12.2005 में पारित किया जाकर प्रार्थी सुरेश कुमार की अपील खारिज की गई।

जिसके बाद द्वितीय अपील प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 01.10.2013 को निर्णय पारित किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 03.12.2005 एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2005 को अपास्त कर किया जाकर इस निर्देशो के अनुसार लौटाई गई कि अपीलार्थी भू–धारक तहसीलदार, [illegible] करने का एक अवसर उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में दिनांक 11.09.1996 [illegible]9 को कायम की गई सभी तनकियात पर पत्रावली पर साक्ष्य [illegible] करते हुये निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली दिनांक 28.10.2013 को पुन दर्ज कि जाक[illegible] शहादत प्रतिवादी में नियत की गई। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को लगातार अवसर देने के बावजूद भी शहादत पेश नही करने पर शहादत प्रतिवादी 20.03.2018 को अवसर बन्द किया गया।

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

जिसके उपरान्त पुनः दिनांक 21.06.2019 को शहादत हेतु अवसर देने के पश्चात् भी शहादत पेश नही करने पर दिनांक 22.10.2019 को शहादत का अवसर बन्द किया गया।

जिसके पश्चात् प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 11.11.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः शहादत हेतु अवसर देने हेतु पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 17.08.2020 को परित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

पत्रावली पर वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया जाकर प्रकरण हाजा मे तनकी वाईज विनिश्चय एवं निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

1– तनकी नम्बर– आया मौजा सरहद ग्राम देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर 376 रकबा 06 बीघा 5 बिस्वा से बने नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर पर वादी का कब्जा काश्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान अमल में आने से पूर्व का है.........जिम्मे वादी

उक्त तनकी के संबंध में पूर्व में दिनांक 06.07.2005 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निम्नानुसार विवेचन की जाकर वादी के पक्ष मे निर्णित की गई। जिसके अनुसार *"वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज को एक्जीबीट करवाया गया। वादी ने बयान में वादग्रस्त आराजी भूमि पर कब्जा काश्त सवत् 2011 से लगातार होना बताया एवम् सबूत में खसरा गिरदावरी की नकल संवत् 2011 से 2015 ई.एक्स–1, सवत् 2016 से 2019 की खसरा गिरदारी की नकल ई.एक्स–2, ख.प. की नकले 2015, 2016, 2019, 2020 ई. एक्स–3 एवम् ख. प. सवत् 2025 से 2040, ई. एक्स–4 खसरा परिवर्तित की निर्धारित तथा गैर मुस्तकिल कास्त सवत् 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2027, 2031 से 2036 ई. एक्स–5, ख प. 2025, 2027, 2031, 2033, 2034 से 2031 ई. एक्स–6 जिसके कॉलम नम्बर 14 मे रेगुलेराईजेशन का अंकन है। संवत् 2046 की खसरा प. की नकल ई.एक्स–7, सवम् 2048 ई.एक्स–8, सवत् 2049 ई.एक्स–9, सवत् 2048 से 2051 के धारा 91 के नोटीस की नकले कमश ई.एक्स–10 से ई. एक्स–13, नक्शा ट्रेस ई.एक्स–14, पटवारी हल्का देसूरी की मौका रिपोर्ट की नकल ई.एक्स–15 प्रस्तुत किये गये। मिलान क्षेत्रफल की नकल ई.एक्स–16, ख.प. 2056 से 2058 ई.एक्स–17, संवत 2053 से 2052 मे धारा 91 के नोटिस की नकले ई.एक्स 18 व [illegible] 20, 2039 ख. प. ई. एक्स–21, 2041 ई.एक्स–22, 80 सी.पी.सी का [illegible]स–23, नकल ई.एक्स–24 नियमन कमेटी के आदेश के [illegible] के न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2000 की नकल पेश [illegible] नियमन कमेटी के आदेश को निरस्त कर पत्रावली पुनः उपखण्ड अधिकारी बाली [illegible] प्रति प्रेषित की। वादी के गवाह हजारीमल पी.डब्ल्यु–2, दूदाराम पी.डब्ल्यू–3, हरिसिंह पी.डब्ल्यू–4, ने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि की एवम् वादी का कब्जा काश्त कई वर्षो से लगातार होना बताया है।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
([illegible])

तहसीलदार, देसूरी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी का कब्जाकाश्त लगातार नही होने के कारण वाद को खारिज करना बताया गया। जवाबदावा तस्दीक शुदा प्रस्तुत नही होने, वकील वादी द्वारा आपत्ती प्रस्तुत की गई एवम् लिखित बहस में बताया की जवाबदावा विधि अनुसार नही होने से इस न तो रिकोर्ड पर ही लिख्या जा सकता है और न ही जवाबदावा प्रस्तुत होना माना जा सकता है, इन परिस्थितियो में जवाबदावा के अभाव में वादी के पक्ष में आदेश 8 नियम 5 एवम् आदेश 10 नियम 10 सीपीसी के तहत वाद वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा विधि अनुसार नही होने से जवाबदावे में अंकित तथ्यो के आधार पर विवायक बिन्दु नही बनाये गये। प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का दो वर्ष से जयादा समय दिया गया मगर उनकी ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवम् प्रतिवादी तहसीलदार, देसूरी द्वारा मौखिक बहस सुनाई गई। वकील वादी द्वारा निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये गये–

1- RRD-1991 Page no-11
2- RRD-1990 page no-212
3- RRD-1995 Page no-397(c)
4- RRD- 1997 Page no 432

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। वादी के पिता मोहनलाल पुत्र ताराचन्द का कास्त खसरा गिरदावरी सवत् 2011 से 2014 में गत खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा पर तील की फसल बोने का अंकन है। इस भूमि का लगान अदा करने के सबूत में ढाल बांछ की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात् के वर्षो में भी वादी का कब्जा व कास्त इस विवादित भूमि पर लगातार चला आ रहा है। पटवारी हल्का देसूरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.1997 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि के चारो ओर बाड कर अनाधिकृत अतिकमण के माध्यम से वादी का कब्जा होना अंकन किया है। गत् खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नियमन का अंकन 2027 से 2036 के खसरा परिवर्तनशील में अंकन है राजस्थान अपील अधिकारी, पाली के अपील संख्या 56/1998 शिवरतन बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी निर्णय दिनांक 23.11.2000 में माना है कि वादी का कब्जा कास्त 2011 से चला आ रहा होने से प[illegible] का देसूरी, भू.अ. नि. देसूरी तहसीलदार, देसूरी, प्रधान प.स. देसूरी [illegible] ने प्रकरण समस्या शिविर के समक्ष प्रस्तुत हुआ मगर [illegible] के निर्णय दिनांक 19.09.1998 को नियमन योग्य नही मानने के कारण इस आ[illegible] को अपास्त कर पत्रावली पुनः उपखण्ड कार्यालय बाली को विधिवत नियमन हेतु प्रति प्रेषित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः पेज (7) राजस्व वाद मु0सं0– 129/2013 वादी शिवरतन बनाम प्रतिवादी सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी अन्य अन्तर्गत धारा–88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी द्वारा वादी के द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो को स्वीकार किया गया, मगर जवाबदावे में वादी के कब्जे काश्त का लगातार नही होना बताया है, यह तथ्य सही प्रतित नही होते है। प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे कास्त के खण्डन होने का कोई साक्ष्य सबूत नही दिया है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में तथ्यो को नही मानने का औचित्य नही है। वादी का कब्जा काश्त संवत् 2011 से 2014 की गिरदावरी एवम् वाद में वर्षो की गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील, धारा 91 के नोटिस एवम् गवाहो के बयानो से प्रमाणित है। गत खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर बनना मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध होता है। संवत् 2025 से 2036 को खसरा परिवर्तनशील की प्रस्तुत नकलो में कॉलम न. 14 में 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि को वादी के पक्ष में नियमन का अंकन है। मगर इसके बाद नये सेटलमेन्ट रिकोर्ड में इस नियमन सबंधी चैनल को छोड दिया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण का खण्डन भी तहसीलदार देसूरी द्वारा नही किया गया। सहायक कलेक्टर, देसूरी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5/1996 निर्णय दिनांक 28.01.1997 में निम्न अंकन है...

जहाँ तक प्रथम दृष्टया अधिकार का प्रश्न है मिलान क्षेत्रफल से प्रथम दृष्टया प्रतित होता है कि नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर से ही 376 मीन से बने है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रतित होता है कि पूर्व खसरा नम्बर 376 मीन पर प्रार्थी लम्बे समय से कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी अर्थात वाद दायर होने की तिथि से उकत आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा है।"

उक्त विवेचन एवम् पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड गवाहो के बयानो से स्पष्ट साबित है कि ग्राम देसूरी के गत खसरा नम्बर 376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.75 हैक्टर पर वादी का कब्जा कास्त 2012 के पूर्व से चला आ रहा है एवम् वर्तमान में भी अतिकमी का खातेदार कास्तकार घोषित कराने का अधिकारी है अतः तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।"

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि अपीलार्थी भू–धारक तहसीलदार देसूरी को सुनवाई एवम् साक्ष्य पेश करने का एक अवसर उपलब्ध कराते हुए साक्ष्य एवम् शहादत के आधार पर गुणावगुण पर निर्णत पारित करे। जिसकी पालना में पत्रावली दिनांक 28.10.2013 को पुन दर्ज कि जाकर शहादत प्रतिवादी में नियत की गई। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को लगातार अवसर देने के बावजूद भी सात वर्षो में शहादत पेश नही करने पर शहादत प्रतिवादी 20.03.2018 को अवसर ... के उपरान्त पुनः दिनांक 21.06.2019 को शहादत हेतु अवसर देने के पश्चात भी शहादत पेश नही करने पर दिनांक 22.10.2019 को शहादत का अवसर बन्द किया गया। अतः पत्रावली में प्रतिवादी को लगातार समय दिया जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नही की गई। ना ही वादी के तथ्यो को खण्डन करने हेतु अन्य कोई दस्तावेज पेश किये।

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी में वाद के समर्थन मे निम्न दृष्टान्त पेश किये

1. RRT 2001(2) Balkrishan vs satyaprakasth & Ors
2. RRT 2003 (2) Bondar singh vs Nihal Singh
3. RRT 2006(2) A.H Khan vs Board of Revenue for Rajasthan
4. RRT 2004 (1) Dalbeer Singh vs Prem Singh
5. RRT 2004 (1) Shankerlal vs Board of Revenue
6. RRT 2021 (1) Chutra vs State of Rajasthan
7. RRT 2012 (1) DNJ Hema vs State of Rajasthan
8. 2018 (3) DNJ (Raj) Remeshwar vs Board of Revenue

वादी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय हेमा बनाम राजस्थान सरकार इस प्रकरण पर लागु होता है। न्यायालय की राय में उक्त तनकी वादी के पक्ष के निर्णित किया जाना न्याय संगत है अतः पूर्व में दिये गये निर्णय के अनुसार सहमत होते हुए पुनः उक्त तनकी वादी के पक्ष मे निर्णत की जाती है।

2– तनकी नम्बर– आया वादी को उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में धारा 15 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है............जिम्मे वादी

इस तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह देखना है कि वादी इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि का उप अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा अभिधारी है।

वादी द्वारा वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वादी का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अस्तित्व में आने से पूर्व का है। जिसके समर्थन में वादी द्वारा इस वादग्रस्त आराजी का कब्जा काश्त सवत् 2011 से लगातार होना बताया एवम् सबूत में खसरा गिरदावरी की नकल संवत् 2011 से 2015 (प्रदर्श–1) पेश किया। तथा इस सबंध में वादी ने स्वयं सशपथ बयान पी. डब्ल्यू–1 तथा गवाहान रूप में पी. डब्ल्यु–2, पी.डब्ल्यू–3 व पी.डब्ल्यु–4 के बयानों से भी वादी का कब्जा काश्त पूराना व पुश्तैनी होना बताया है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3– तनकी नम्बर– आया वादी लगातार काबिज काश्त होने से एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है......जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में सवत् 2011 से लगातार कब्जा [illegible] के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी होना बता[illegible] समर्थन में गिरदावरी सवत् 2011 से 2014 में गत खसरा न[illegible] [illegible] फसल बोने का अंकन है। इस भूमि का लगान अदा [illegible] में ढालबाछ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात् पश्चात् पटवारी हल्क[illegible]सूरी की मौका रिपोर्ट दिनाक 20.09.1997 के अनुसार भी वादी का कब्जा काश्त होने का अंकन किया है।

पेज लगातार 09 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

पेज (9) राजस्व वाद मु0सं0– 129/2013 वादी शिवरतन बनाम प्रतिवादी सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी अन्य अन्तर्गत धारा–88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–24 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2000 में भी वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा काश्त होने से उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को नियमन किया जाना न्यायोचित माना गया है।

परन्तु सरकार के विरूद्ध एडवर्स पजेशन की प्लीडिंग न्यायोचित नही है। न्यायालय की राय में उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाना उचित एवम् न्याय संगत है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या–1 व 2 विनिश्चय व निर्णय वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाने तथा तनकी संख्या 3 का विनिश्चय वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है। प्रतिवादी के साक्ष्य एवम् शहादत का कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद कोई नये साक्ष्य एवम् दस्तावेज प्रस्तुत नही हुए, अतः न्यायालय की राय में वादी का वाद स्वीकार किया उचित एवम् न्याय संगत है अतएव–

–: आदेश :–

अतः वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– मौजा ग्राम देसूरी तहसील–देसूरी के गत खसरा नम्बर–376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध नही करे न किसी अन्य ही करावे।तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	**ब ना म**	**प्रतिवादीगण**
शिवरतन पुत्र मोहनलाल जाति–श्रीमाली ब्राहमण निवासी–देसूरी जिला–पाली तहसील–देसूरी		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, पाली 2. तहसीलदार, देसूरी प्रतिनिधी–भूमिधारी राजस्थान सरकार

दावा बाबत 88,89,92ए,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 129/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री सुधीर कुमार श्रीमाली मुदई सरकारी पैराकार तहसीलदार देसूरी मिनजाविब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा ग्राम देसूरी तहसील–देसूरी के गत खसरा नम्बर–376 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.7500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को खातेदार कास्तकार वादी को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध नही करे न किसी अन्य ही करावे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25** माह **जनवरी** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सहायक देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस गवाहन			बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक		
फीस कमीश्नर			मिजान		
बाबत इजराय हुक्म नामा					
मिजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested